



2026 : AHC : 38613

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6988 वर्ष 2026

राम चंदर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता

: धर्म राज, रामनाथ

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"(i) प्रतिवादियों को (याची को प्रदान किए गए) 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टे (16.06.2016 से 15.06.2026 तक) में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना।

(ii) उप-जिलाधिकारी, शाहगंज, जिला जौनपुर को याची द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन को तय करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना।"

2. रिट याचिका में निहित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याची को 16.06.2016 को दस वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 15.06.2026 तक के लिए तालाब का पट्टा दिया गया था।

3. यह तर्क दिया गया है कि लगभग दस वर्षों के बाद 30.07.2025 को याची की मछलियाँ अभी भी तालाब में हैं और याची अभी भी मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील-शाहगंज, जिला जौनपुर द्वारा याची को एक पत्र दिनांक 18.02.2025 लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि याची ने दूसरे वर्ष, अर्थात् वर्ष 2016 और 2017-18 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए पट्टा किराया जमा नहीं किया है, अतः याची को इसे एक सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर याची ने अधिकारियों से संपर्क किया। यह आगे तर्क दिया गया है कि याची को पता चला कि उपरोक्त पट्टा पहले ही 19.10.2023 को एक रवींद्र कुमार बिंद के पक्ष में दिया जा चुका है। इसके विरुद्ध याची द्वारा 20.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान रिट याचिका में उपरोक्त प्रतिवादियों को उक्त प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
5. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची के पक्ष में वर्ष 2016 में दस वर्ष की अवधि के लिए मत्स्य पालन पट्टा दिया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि याची ने एक वर्ष (2016-17) को छोड़कर पट्टा किराया जमा नहीं किया है और उसके बाद याची द्वारा कभी भी कोई पट्टा किराया जमा नहीं किया गया।
6. इस तथ्य को याची के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
7. इस मामले के दृष्टिगत, न्यायालय की राय है कि चूंकि याची द्वारा पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए याची को प्रार्थना के अनुसार कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
8. रिट याचिका गुणदोष विहीन होने के कारण एतद्वारा खारिज की जाती है।
9. उपरोक्त आदेश लिखवाने के बाद, याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका के पैराग्राफ-15 को भी आदेश में उद्धृत किया जाए।
10. इसी के दृष्टिगत, रिट याचिका का पैराग्राफ-15 नीचे उद्धृत किया गया है:-
"कि याची को राजस्व (लगान) भुगतान करने की अनुमति दी जाए"
11. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति एक सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर, उप-जिलाधिकारी, शाहगंज, जिला जौनपुर और तहसीलदार, तहसील-शाहगंज, जिला जौनपुर को प्रेषित करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

20 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।